

## दिशा-निर्देश

(सत्र 2020-21)

### विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु संदर्भ कक्ष का संचालन

#### प्रस्तावना :-

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को आवश्यक शैक्षणिक एवं थैरेपिक सम्बलन प्रदान करने एवं उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास हेतु राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक संदर्भ कक्ष विकसित किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद् से पंजीकृत संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) द्वारा इन संदर्भ कक्षों पर विभिन्न दोषों से प्रभावित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को शैक्षिक संबलन प्रदान किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाएं संदर्भ कक्ष पर उपलब्ध विभिन्न उपकरणों की सहायता से थैरेपिक संबलन भी प्राप्त करते हैं। राज्य के सभी 301 ब्लॉक्स पर एक-एक संदर्भ कक्ष संचालित है।

#### उद्देश्य :-

- संदर्भ कक्ष पर विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का स्क्रीनिंग, असेसमेंट एवं संबलन प्रदान करना।
- मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेंट कैम्प में विक्रिस्सक/विशेषज्ञों की अनुशंसा अनुसार चयनित बालक-बालिकाओं को संदर्भ कक्ष में प्राथमिकता के आधार पर बुलाकर सम्बलन प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को संदर्भ कक्ष पर आवश्यक शैक्षिक/थैरेपिक सम्बलन प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं की विविध आवश्यकताओं के प्रति बेहतर समझ विकसित करने के लिए उनके अभिभावकों हेतु परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन करना।

#### संदर्भ व्यक्ति (CWSN) का दायित्व :-

- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) द्वारा ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण कर उनका विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करने हेतु कार्य करना।
- ब्लॉक के समस्त संस्थाप्रधानों से समन्वय स्थापित कर समस्त नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं की UDISE+ एवं PMS Portal पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि हेतु कार्य करना।
- ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण, नामांकन एवं डाइस डेटा फीडिंग एवं PMS Portal पर चिह्नित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का रिकोर्ड संधारण करना।



- मेडिकल कम फक्शनल असेसमेंट कैम्प के दौरान विशेषज्ञों के सहयोग से बालक-बालिकाओं हेतु Therapy/ Intervention Programme का निर्धारण।
- संदर्भ कक्ष में बालक-बालिकाओं के संबलन हेतु मासिक कलेण्डर तैयार करना।
- सन्दर्भ कक्ष में बालक-बालिकाओं को शैक्षणिक एवं थैरेपिक सम्बलन प्रदान करना।
- सन्दर्भ कक्ष में उपलब्ध प्रत्येक उपकरण का सही रख-रखाव एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करना।
- सन्दर्भ कक्ष में बुलाए जा रहे प्रत्येक बालक-बालिकाओं की पृथक्-पृथक् फाईल तैयार कर पूर्ण रिकार्ड संधारित करना।
- समावेशी शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सहयोग करना।

#### संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की साप्ताहिक कार्ययोजना :-

| संदर्भ व्यक्ति (CWSN)    | सोमवार, मंगलवार, बुधवार                                                                                                                                                                                                             | गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संदर्भ व्यक्ति (CWSN)-I  | विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने एवं CWSN Data अपडेशन इत्यादि कार्य हेतु संदर्भ कक्ष पर उपस्थित रहेंगे।                                                                                   | प्रत्येक दिवस ब्लॉक के कम से कम दो विद्यालयों की विजिट कर CWSN को शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन एवं होमबेस्ड एज्यूकेशन के CWSN को संबलन प्रदान करना। साथ ही UDISE+/PMS Portal पर CWSN Data अपडेशन कार्य में विद्यालयों को सहयोग करेंगे। |
| संदर्भ व्यक्ति (CWSN)-II | प्रत्येक दिवस ब्लॉक के कम से कम दो विद्यालयों की विजिट कर CWSN को शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन एवं होमबेस्ड एज्यूकेशन के CWSN को संबलन प्रदान करना। साथ ही UDISE+/PMS Portal पर CWSN Data अपडेशन कार्य में विद्यालयों को सहयोग करेंगे। | विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने एवं CWSN Data अपडेशन इत्यादि कार्य हेतु संदर्भ कक्ष पर उपस्थित रहेंगे।                                                                                   |

#### संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का दायित्व :-

- संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN) से अग्रिम मासिक कार्ययोजना प्राप्त करना।
- संदर्भ कक्ष का समय पर खुलना, संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की निर्धारित दिवस में उपलब्धता एवं सन्दर्भ कक्ष के प्रभावी उपयोग हेतु कार्य योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
- समावेशी शिक्षा की गतिविधियों के संचालन में आवश्यकता होने पर संदर्भ व्यक्ति (CWSN) को विद्यालय में पदस्थापित विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी)/सामान्य शिक्षक अथवा अन्य कार्मिक का सहयोग उपलब्ध करवाना।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति एवं अन्य विद्यालयों में वास्तविक यात्रा कार्यक्रम का प्रमाणीकरण करना।
- संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के यात्रा व्यय का भुगतान करना।
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध सभी उपकरणों के रख-रखाव एवं क्रियाशीलता को सुनिश्चित करना।





## सीबीईओ का दायित्व :-

3

- संदर्भ कक्ष के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करना।
- संदर्भ कक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से संदर्भ कक्ष संचालन की अग्रिम मासिक कार्ययोजना प्राप्त करना।
- प्रत्येक माह में कम से कम दो बार संदर्भ कक्ष का अवलोकन कर मासिक कार्ययोजना क्रियान्विति को सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण, उनका विद्यालयों में नामांकन एवं **UDISE** व **PMS Portal** पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करना।
- पीईईओ के अधीन कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के चिन्हिकरण, नामांकन, असेसमेंट कैम्प में उपस्थिति, पेरेन्ट काउंसलिंग एवं समावेशी शिक्षा की अन्य गतिविधियों में संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN) को सहयोग करने हेतु आदेशित करना।
- पीईईओ के अधीन कार्यरत विशेष शिक्षकों (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को पीईईओ क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त CWSN को शैक्षिक संबलन प्रदान करने हेतु संबंधित पीईईओ को निर्देशित करना।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IED) को समावेशी शिक्षा की समस्त गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु निर्देशित करना।
- ब्लॉक स्तर पर आयोज्य समीक्षा बैठक में समावेशी शिक्षा की प्रगति पर चर्चा करना।
- संदर्भ कक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रेषित संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की उपस्थिति, विजिट रिपोर्ट इत्यादि को प्रतिहस्ताक्षरित करना।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) के प्रस्तावित एवं वास्तविक यात्रा कार्यक्रम की प्रतियाँ रखना।

## पीईईओ का दायित्व :-

- संबंधित पीईईओ क्षेत्र के समस्त विशेष आवश्यकता बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण कर विद्यालयों में नामांकन एवं नामांकित CWSN का UDISE एवं PMS Portal पर Entry की सुनिश्चित करना।
- पीईईओ क्षेत्र में कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को विशेष आवश्यकता बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण कर विद्यालयों में नामांकन एवं नामांकित CWSN का UDISE एवं PMS Portal पर Entry एवं अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को शैक्षिक संबलन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करना।
- संबंधित पीईईओ क्षेत्र में कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को उक्त कार्य के संपादन में संदर्भ व्यक्ति (CWSN) का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर समन्वय के साथ कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित करेंगे।
- ब्लॉक/जिला स्तर पर समावेशी शिक्षा हेतु समय-समय पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन में भी विशेष शिक्षकों (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को कार्यालय समसा ब्लॉक/जिला के आदेशानुसार सहयोग करने हेतु निर्देशित करेंगे।

## वित्तीय प्रावधान:-

- संदर्भ कक्ष पर आने वाले प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिका (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के) को न्यूनतम वास्तविक किराए का भुगतान संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की अनुशंसा पर संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC द्वारा उसी दिवस अनिवार्यतः किया जावेगा। इस हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC को ₹ 20,000/- की अग्रिम राशि समावेशित शिक्षा के "**Providing Aids and Appliances**" में से जारी करेंगे।





- सत्र में अधिकतम ₹ 20,000 /-की राशि निम्नानुसार व्यय की जा सकेगी :-

| क्र.सं. | कार्य                                                                                                                            | राशि    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1       | संदर्भ कक्ष पर आने वाले CWSN का वास्तविक किराया                                                                                  | ₹ 10000 |
| 2       | संदर्भ कक्ष पर उपलब्ध विभिन्न उपकरणों का रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य, संदर्भ कक्ष रंग रोगन, शिक्षण सहायक सामग्री, स्टेशनरी इत्यादि। | ₹ 10000 |
| योग     |                                                                                                                                  | ₹ 20000 |

नोट :-उपरोक्त उपमद में से आवश्यकतानुसार दूसरे उपमद की बचत से व्यय किया जा सकता है।

संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC द्वारा संदर्भ कक्ष हेतु आवंटित राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिसम्बर एवं मार्च माह में प्राप्त किया जाना आवश्यक है। यू.सी. जारी न करने पर SMC/SDMC के सचिव व संदर्भ व्यक्ति (CWSN) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC को जारी राशि एवं व्यय संबंधित समस्त रिकॉर्ड की जाँच समय-समय की जायेगी। व्यय की गई राशि के उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

#### अन्य उल्लेखनीय बिन्दु :-

- संदर्भ कक्ष का समय शिविरा पंचागानुसार रहेगा।
- संदर्भ कक्ष में संदर्भ कक्ष के उपकरणों के अलावा विद्यालय की अन्य कोई सामग्री यथा — पाठ्यपुस्तकें, वर्कबुकस, मिड डे मील का सामान आदि नहीं रखा जायेगा। संदर्भ कक्ष को विद्यालय के बच्चों के अध्ययन कक्ष अथवा संदर्भ व्यक्ति (CWSN) / किसी अन्य कार्मिक द्वारा आवास के रूप में उपयोग में नहीं लिया जायेगा।
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध सभी सामग्री/उपकरणों को प्रदर्शन बोर्ड पर अंकित किया जाये।
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध प्रत्येक सामग्री/उपकरण की क्रियाशीलता एवं उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाये। कोई भी सामग्री/उपकरण अक्रियाशील, अनुपयोगी अथवा डिब्बा बंद अवस्था में न रखा जाये।
- प्रत्येक संदर्भ कक्ष में 4x6 के ब्लैक बोर्ड पर स्थायी कलर से संदर्भ कक्ष के खुलने का समय, उपलब्ध सुविधाएं एवं अन्य जानकारी अंकित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- संदर्भ कक्ष हवादार, रोशनीयुक्त व बड़े आकार का हो, जिसमें आवश्यक रूप से बिजली, पानी, रैम्प विद हैण्डरेल की व्यवस्था हो।
- संदर्भ कक्ष वाले विद्यालयों में विशेष शौचालय (Disable Friendly Toilet) की सुविधा सुनिश्चित की जाये।
- संदर्भ कक्ष पर प्रत्येक दिवस दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार बालक-बालिकाओं को बुलाया जाये।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की उपलब्धता के आधार पर कार्यभार का आवंटन किया जाये।
- संदर्भ कक्ष पर प्रति दिवस कम से कम दस बालक-बालिकाओं को संबलन प्रदान किया जाये।
- **संदर्भ कक्ष रिकॉर्ड संधारण रजिस्टर :-** प्रत्येक संदर्भ कक्ष पर निम्नानुसार रिकॉर्ड संधारित किया जाकर जिले के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर इनकी जाँच की जाये :-
  1. **CWSN रिकॉर्ड रजिस्टर :-** ब्लॉक के सभी चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारण।
  2. **स्टॉक रजिस्टर :-** संदर्भ कक्ष को उपलब्ध करवायी गई समस्त सामग्री/उपकरणों का मूल बिल से मिलान करते हुए भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करना।
  3. **आगंतुक रजिस्टर :-** संदर्भ कक्ष की विजिट के दौरान विभिन्न अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों की टिप्पणी अंकित करवाते हुए तदनुसार फोलोअप कार्यवाही सुनिश्चित करना।
  4. **संबलन रजिस्टर :-** संदर्भ कक्ष में आने वाले प्रत्येक बालक-बालिका का दिनांक वार संपूर्ण विवरण एवं इन्हें संदर्भित दिनांक में दिये गये संबलन का ब्यौरा निम्न प्रारूप में रखा जाएगा।



## संबलन रजिस्टर का प्रारूप

| क्रं. स. | नाम बालक-बालिका | उम्र | विद्यालय का नाम | दोष का प्रकार | दिनांक | प्रदत्त संबलन/प्रशिक्षण का विवरण | संबलन की आगामी तिथि | हस्ताक्षर संदर्भ शिक्षक |
|----------|-----------------|------|-----------------|---------------|--------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
|          |                 |      |                 |               |        |                                  |                     |                         |

5. **व्यक्तिगत फाईल :-** संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले प्रत्येक बालक-बालिका की व्यक्तिगत फाईल में निम्न सूचनाएं संधारित की जायेगी।

- ☞ केस हिस्ट्री
- ☞ मूल्यांकन प्रपत्र
- ☞ Individual Education Plan (IEP)
- ☞ फीजियो थेरेपी मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन प्रपत्र
- ☞ स्पीच थेरेपी मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन प्रपत्र
- ☞ व्यवहार मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रपत्र

6. **यात्रा व्यय विवरण रजिस्टर :-** संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले बालक-बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों को प्रदान की जानी वाली यात्रा व्यय राशि की उपलब्धता तथा वितरण का लेखा-जोखा निम्न प्रारूप में रखा जाएगा।

### यात्रा व्यय विवरण रजिस्टर

माह.....

| क्रं. स. | नाम बालक-बालिका/अभिभावक | विद्यालय का नाम | संदर्भ कक्ष से विद्यालय/घर की दूरी | भुगतान किए गए किराए की राशि | हस्ताक्षर बालक/अभिभावक |
|----------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|          |                         |                 |                                    |                             |                        |

माह में कुल प्राप्त राशि .....वितरित राशि.....शेष राशि.....

• संदर्भ कक्ष पर निम्न सूचनात्मक चार्ट आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे:-

-: संदर्भ कक्ष सामग्री उपयोग विवरण :-

| क्रं.स. | सामग्री का नाम       | गत माह तक उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या | इस माह में उपयोग करने वाले बच्चे की संख्या | कुल योग |
|---------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 1       | ट्रेड मिल            |                                            |                                            |         |
| 2       | हैण्डजिम किट बोर्ड   |                                            |                                            |         |
| 3       | एक्टिवेटर            |                                            |                                            |         |
| 4       | पैरेलल वाकिंग बार    |                                            |                                            |         |
| 5       | वॉकर                 |                                            |                                            |         |
| 6       | क्लीन चेयर           |                                            |                                            |         |
| 7       | ट्राईसाईकिल          |                                            |                                            |         |
| 8       | ग्रुप हीयरिंग ऐड     |                                            |                                            |         |
| 9       | पोश्चर ट्रेनिंग मिरर |                                            |                                            |         |
| 10      | ब्रेलकिट             |                                            |                                            |         |
| 11      | फीजियो बॉल           |                                            |                                            |         |
| 12      | ब्रेलर               |                                            |                                            |         |
|         | अन्य                 |                                            |                                            |         |
| 1       |                      |                                            |                                            |         |
| 2       |                      |                                            |                                            |         |



6

• होमबेस्ड एज्यूकेशन अन्तर्गत CWSN की सूचना

नाम संदर्भ व्यक्ति (CWSN) .....

| क्र.सं. | नाम बालक-बालिका | पीईईओ क्षेत्र | उम्र | दोष का प्रकार | घर का पता एवं मोबाइल नं. |
|---------|-----------------|---------------|------|---------------|--------------------------|
| 1       |                 |               |      |               |                          |
| 2       |                 |               |      |               |                          |
| 3       |                 |               |      |               |                          |
| 4       |                 |               |      |               |                          |

नोट :- प्रत्येक संदर्भ व्यक्ति (CWSN) हेतु पृथक्-पृथक् संधारित किया जाये।

मॉनीटरिंग:-

- सन्दर्भ कक्ष के प्रभावी संचालन की सुनिश्चितता हेतु जिला परियोजना समन्वयक/जिले के अन्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार तथा सीबीईओ द्वारा कम से कम दो बार संदर्भ कक्ष का अवलोकन अनिवार्यतः किया जायेगा। आगन्तुक अधिकारियों द्वारा डायरी/रजिस्टर में अपनी टिप्पणी दर्ज की जायेगी। अवलोकन प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रारूप में संधारित होगा :-

संदर्भ कक्ष का नाम .....

| क्र.सं. | अवलोकनकर्ता का नाम व पद | अवलोकन दिनांक | अवलोकन का संक्षिप्त विवरण | गत अवलोकन के सुझावों की क्रियान्विति। |
|---------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
|         |                         |               |                           |                                       |
|         |                         |               |                           |                                       |

- संदर्भ कक्षों द्वारा अधिक से अधिक बालक-बालिकाओं को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा इनका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे तथा समस्त प्रकार के प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं में संदर्भ कक्षों की जानकारी सभी संभागियों को प्रदान की जाये।
- पीईईओ/सीबीईओ द्वारा प्रत्येक माह में संदर्भ कक्ष के उपयोग एवं बालक-बालिकाओं की संख्या की सूचना माह की 5 तारीख तक कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भिजवाया जाये तथा जिला परियोजना समन्वयक जिले का समेकित प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक परिषद मुख्यालय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- संदर्भ कक्ष हेतु आवंटित राशि के व्यय की प्रविष्टि PMS Portal पर आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रभावों का आंकलन :- वर्ष पर्यन्त संदर्भ कक्षों के संचालन उपरान्त विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं की उपलब्धियों एवं सकारात्मक प्रभावों का आंकलन विद्यालय स्तर से सुनिश्चित किया जाये।

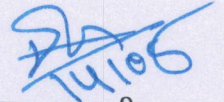


7  
कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए जिले के विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को आवश्यक सम्बलन प्रदान करने हेतु संदर्भ कक्षों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। उक्त परिपत्र की पहुँच संबंधित पीईईओ/सीबीईओ एवं संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य तक भी सुनिश्चित करेंगे।

➤ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. राशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
3. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- **नोट:-**गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

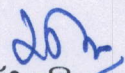


(बाबू लाल मीणा)  
राज्य परियोजना निदेशक,  
समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त  
आयुक्त, रास्कूशिप एवं  
आयुक्त, स्कूल शिक्षा  
दिनांक 17/8/2020

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20-21/13784

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. रक्षित पत्रावली।



(डॉ० रवि शर्मा)  
अति० राज्य परियोजना निदेशक



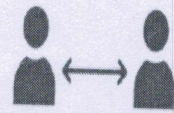
## कोरोना के बचाव के उपाय अपनायें



बार बार  
हाथ धोयें



मास्क पहन  
कर बाहर जायें



2 गज की दूरी  
बनायें रखें